**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding social and economic upliftment of slumdweller in the country-laid.

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): आज हम जिस विषय को उठा रहे है वह एक गंभीर विषय है, जिससे हर भारतवासी वाकिफ है | हमने बचपन में पढ़ा था कि भारत गांवों में बसती है,लेकिन आज हकीकत है कि भारत की ज्यादतर आवादी झुग्गी, मलिन बस्ती व समकक्ष स्थानों में बसती है, एक आकड़ा के मुताबिक महानगरो एवं शहरो की कुल आबादी का करीब 40 प्रतिशत मलिन बस्तियों में बस्ता है, लेकिन इन मलिन बस्तियों का सच इतना भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाते है | जिधर नजर डाली जाती है उधर लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है | मलिन बस्ती निर्धन लोगों तथा मकानों का क्षेत्र होता है जहाँ संक्रमण एवं गिरावट का क्षेत्र होता है । यह असंगठित क्षेत्र होता है, जो मानव अपशिष्ट से परिपूर्ण होता है। यह अपराधियों, दोषयुक्त, एवं त्यक्त लोगों के लिए सुविधाजनक क्षेत्र होता है। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग जीवन की विभिन्न मुलभुत सुविधाओ से बंचित है | मलिन बस्तिओ की बदहाली की स्थिति यह है कि वहां सामान्य रिहायस, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि देने की जरुरत ही नहीं समझी जाती है | आधुनिक समय में शिक्षा ज्ञान के साथ ही आर्थिक विकास का रास्ता भी प्रशस्त करती है। यह कहना बिल्कुल सही है कि शिक्षा मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है। समाज में जन्म आदि कारणों से ढेर सारे बंधन मनुष्यों पर थोप दिए जाते हैं। शिक्षा, इनसे ऊपर उठकर नए जीवन की तरफ अग्रसर करती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से मुक्ति काफी हद तक संभव है।

आजादी के छह दशक गुजरने के बावजूद भी शिक्षा जनसुलभ नहीं बन सकी है, खासकर मलिन बस्तिओ में, जबकि शिक्षा के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती हैं लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात जैसा ही है। वैसे तो अपने यहां प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला हुआ है।

उल्लेखनीय है कि संविधान में संशोधन करके यह कदम उठाया गया था। पर हकीकत यह है कि यह संशोध्न भी हमारे संविधान के पन्नों में कैद होकर रह गया है। अत: मै सरकार से मांग करता हूँ कि अविलम्ब मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगो के सामाजिक एवं आर्थिक उथान के लिए संविधान में उल्लेखित मूलभूत सुविधाओ उपलब्ध कराया जाए ताकि देश के निर्माण में इन लोगों का भी योगदान सुनिश्चित हो सके |